संख्या-64/2018/2716 ई-2/तेरह-2018-46/2017टीसी-2

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 03 अगस्त,2018

विषयः-वर्ष 2017-18 की समाप्ति के बाद विभिन्न अनुज्ञापनों (बार अनुज्ञापनों को छोड़कर) पर अवशेष स्टाक के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-51/दस-लाइसेंस-323/88/अवशेष स्टाक/2018-19, दिनांक 10 जून,2018 तथा इस सम्बन्ध में दि0 18 जून,2018 को अवस्थापना एवं औदयोगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक का कार्यवृत्त पत्र संख्या-2545 ई-2/तेरह-2018-46/2017टीसी-III दिनांक 27 जुलाई,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र में प्रेषित प्रस्ताव एवं अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त वर्ष 2017-18 की समाप्ति के बाद प्रदेश के विभिन्न अनुज्ञापनों पर अवशेष स्टाक का निस्तारण निम्नानुसार किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) आसवनी/यवासवनी पर संचित वर्ष **2017-18** के अवशेष स्टाक का तीव्रतावार**,** धारितावार**,** ब्राण्डवार एवं पैकेजिंगवार विवरण प्राप्त करते हुये जिन आसवनियों/यवासवनियों पर इन्हें रखा गया है**,** उसकी सूचना सम्बन्धित आसवनी/यवासवनी के सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाय तथा उक्त सूचना केन्द्रीयकृत रूप से आबकारी आयुक्त को उपलब्ध कराई जाय। इस सूचना को बार कोड/क्यू**0**आर**0** कोड सर्विस प्रोवाइडर के पास प्रेषित किया जाय तथा सर्विस प्रोवाइडर द्वारा इनके निमित्त एक विशेष बार कोड/क्यू**0**आर**0** कोड अलग-अलग आसवनी के अनुसार जनरेट किया जाए। तत्पश्चात् सम्बन्धित आसवनी/ यवासवनी के सहायक आबकारी आयुक्त के माध्यम से सम्बन्धित आसवनी/यवासवनी को इस प्रकार के विशेष बार कोड/क्यू**0**आर**0** कोड का प्रिन्ट वितरण हेतु उपलब्ध कराया जाए। सम्बन्धित आसवनियों/यवासवनियों के सहायक आबकारी आयुक्तों की अध्यक्षता में गठित कमेटी के समक्ष बोतलों पर लगे सुरक्षा होलोग्राम को उचाड़कर उनका आंकड़ा सुरक्षित रखते हुये बोतलों पर विशेष बार कोड/क्यू**0**आर**0** कोड को चस्पा कराया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश दिनांक **27** अप्रैल,**2018** द्वारा पूर्व में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि आसवनियों/यवासवनियों में बिना पेड इण्डेण्ट के उत्पादन किया गया है और मदिरा की निकासी नहीं की गई है, तो वह अवशेष स्टाक की श्रेणी में नहीं आता है। अतः आसवनी/यवासवनी द्वारा उक्त अवशेष स्टाक के सम्बन्ध में वर्ष **2018-19** के लिये निर्धारित पूरी ड्यूटी का भुगतान किया जाए। निकासी से पूर्व बोतलों पर वर्ष **2018-19** का स्टिकर एवं नई एम**0**आर**0**पी**0** का स्टिकर भी चस्पा किया जाए। इस प्रक्रिया में शासनादेश दिनांकित **25.01.2018** के प्रस्तर-**7.16(3)** के संगत प्राविधानों का पालन सुनिश्चित किया जाय। अवशेष स्टाक के निस्तारण के प्रभावी अनुश्रवण हेतु प्रतिबन्ध यह रहेगा कि उक्त स्टाक का निस्तारण कुछ बड़े जनपदों यथा- लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद व गौमतबुद्धनगर के शहरी क्षेत्रों में (अपराध निरोधक सेक्टरों में) एक माह के अन्दर ही किया जाए। अवशेष स्टाक के निस्तारण के उपरान्त आसवनियों/यवासवनियों द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। सहायक आबकारी आयुक्त, आसवनी/यवासवनी द्वारा अवशेष स्टाक की निकासी की सूचना सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी को तत्काल देना अनिवार्य होगा। जन स्वास्थ्य के दृष्टिगत यवासवनियों में संचित वर्ष **2017-18** की समाप्ति के पश्चात् अवशेष स्टाक में से **01** मार्च,**2018** के उपरान्त निर्मित बीयर के अवशेष स्टाक के निस्तारण पर ही विचार किया जाय।

(2) समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन एफ**0**एल**0-2**डी तथा बाण्ड अनुज्ञापनों पर वर्ष **2017-18** की अवशेष मदिरा के निस्तारण हेतु सम्बन्धित जनपदों के जिला आबकारी अधिकारी द्वारा उक्त स्टॉक की तीव्रतावार, धारितावार, ब्राण्डवार एवं पैकेजिंगवार सूची प्राप्त करते हुये यह अवशेष स्टॉक किस स्थान तथा किस अनुज्ञापी के यहां संरक्षित है, उसका नाम तथा स्थान और उक्त स्टॉक की तीव्रतावार, धारितावार, ब्राण्डवार एवं पैकेजिंगवार सूची का विवरण केन्द्रीयकृत रूप से आबकारी आयुक्त को उपलब्ध कराते हुये बार कोड क्यू**0**आर**0** कोड सर्विस प्रोवाइडर को उपलब्ध कराया जाए। सर्विस प्रोवाइडर द्वारा उक्त विवरण के आधार पर स्पेशल बार कोड/क्यू**0**आर**0** कोड जनरेट किया जायेगा। इस प्रकार जनरेट किये गये बार कोड/क्यू**0**आर**0** कोड को सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा सर्विस प्रोवाइडर से प्राप्त कर अपनी अध्यक्षता में गठित कमेटी के समक्ष एफ**0**एल**0-2**डी तथा बाण्ड अनुज्ञापनों पर संरक्षित अवशेष स्टाक पर लगे सुरक्षा होलोग्राम को उचाड़कर उनका आंकड़ा सुरक्षित रखते हुये वर्ष **2018-19** के अनुसार डिफरेन्शियल ड्यूटी जमा कराकर प्रदेश के कुछ बड़े जनपदों यथा- लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद व गौमतबुद्धनगर के शहरी क्षेत्रों में एक माह के अन्दर ही निस्तारित किया जाए।

(3) उल्लेखनीय है कि बीयर की शेल्फ लाइफ **06** माह ही होती है, अतः बीयर के थोक अनुज्ञापन एफ**0**एल**0-2**बी पर संचित वर्ष **2017-18** की समाप्ति के पश्चात् अवशेष स्टाक के निस्तारण हेतु यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि **06** माह के अन्दर निर्मित बीयर के अवशेष स्टाक को चिन्हित करते हुये जन स्वास्थ्य के दृष्टिगत **01** मार्च,**2018** के उपरान्त निर्मित बीयर के निस्तारण पर ही विचार किया जाय। सम्बन्धित जनपदों के जिला आबकारी अधिकारी बीयर के थोक अनुज्ञापन एफ**0**एल**0-2**बी पर संचित वर्ष **2017-18** की समाप्ति के पश्चात् अवशेष स्टाक किस स्थान तथा किस अनुज्ञापी के यहां संरक्षित है, उसका नाम तथा स्थान और उक्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

स्टॉक की तीव्रतावार, धारितावार, ब्राण्डवार एवं पैकेजिंगवार सूची का विवरण केन्द्रीयकृत रूप से आबकारी आयुक्त को उपलब्ध कराते हुये बार कोड/क्यू**0**आर**0** कोड सर्विस प्रोवाइडर को उपलब्ध कराया जाए। सर्विस प्रोवाइडर द्वारा उक्त विवरण के आधार पर स्पेशल बार कोड/क्यू**0**आर**0** कोड जनरेट किया जायेगा। इस प्रकार जनरेट किये गये बार कोड/क्यू**0**आर**0** कोड को सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा सर्विस प्रोवाइडर से प्राप्त कर अपनी अध्यक्षता में गठित कमेटी के समक्ष बीयर के थोक अनुज्ञापन एफ**0**एल**0-2**बी पर संचित वर्ष **2017-18** की समाप्ति के पश्चात् अवशेष स्टाक पर लगे सुरक्षा होलोग्राम को उचाड़कर उनका आंकड़ा सुरक्षित रखते हुये वर्ष **2018-19** के अनुसार डिफरेन्शियल ड्यूटी जमा कराकर प्रदेश के कुछ बड़े जनपदों के शहरी क्षेत्रों में एक माह के अन्दर ही निस्तारित किया जाए।

(4) वर्ष **2017-18** के एफ**0**एल**0-2**बी अनुज्ञापन समाप्त हो जाने के उपरान्त उसके स्थान पर वर्ष **2018-19** में नये एफ**0**एल**0-2**बी अनुज्ञापन होने की स्थिति में वर्ष **2017-18** की समाप्ति के पश्चात् पूर्व अनुज्ञापन पर संचित अवशेष स्टाक के उपरोक्तानुसार निस्तारण हेतु पूर्व अनुज्ञापी अर्थात् वर्ष **2017-18** के अनुज्ञापी द्वारा वर्ष **2018-19** के अनुज्ञापी को वर्ष **2017-18** के अवशेष स्टाक को आपसी सहमति से बिक्री किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा रू**0 100/-** के स्टाम्प पेपर पर समझौता पत्र तैयार कराकर दोनों पक्षों की सहमति प्राप्त की जाय। यह One Time विचलन है, इसे भविष्य में दृष्टान्त न बनाया जाए।

(5) राजस्वहित में उपरोक्त शर्तों तथा आबकारी नीति वर्ष **2018-19** के प्रस्तर-**7.16** के बिन्दु संख्या-(**3**) में वर्णित व्यवस्था के अनुसार उक्त अवशेष स्टाक के निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(6) आसवनियों/यवासवनियों/बाण्डअनुज्ञापन/एफ**0**एल**0-2**बी/एफ**0**एल**0-2**डी अनुज्ञापनों द्वारा स्वयं बार कोड/क्यू**0**आर**0** कोड जनरेट नहीं किया जायेगा। इस हेतु केवल बार कोड/क्यू**0**आर**0** कोड सर्विस प्रोवाइडर द्वारा जनरेट किये गये विशेष बार कोड/क्यू**0**आर**0** कोड का ही उपयोग किया जाए।

तद्नुसार विभिन्न अनुज्ञापनों पर अवशेष स्टाक के निस्तारण हेतु कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीया,

(कल्पना अवस्थी)

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in